



पूर्वोत्तर रेलवे अधिसूचना

कार्यालय
महाप्रबंधक (कार्मिक)
गोरखपुर -273012

सं० का/254/14/वर्ग चार /कार्मिक/भाग-VIII/(16.2/3%) आँठवा

दिनांक 15.02.2024

1. अपर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
2. प्रमुई / प्रमुसिदुई / प्रमुवाप्र / प्रमुपरिप्र / प्रमुविई / प्रमुयाई / प्रमुचिनि / गोरखपुर।
3. उपमहाप्रबंधक / सामान्य / गोरखपुर।
4. महाप्रबंधक/सतर्कता / गोरखपुर। 5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण / गोरखपुर।
6. मुख्य कारखाना प्रबंधक / सिग० कार० / गो० छावनी। 7. मुख्य कारखाना प्रबंधक / पुल कारखाना / गोरखपुर।
8. मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी / गोरखपुर।
9. चिकित्सा निदेशक / ल० ना० मि० रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर।
10. उप मुख्य इंजीनियर/गो० क्षेत्र०। 11. उप मुविई/कालोनी, गोरखपुर।
12. अध्यक्ष, आर.आर.बी. / आर.आर.सी / गोरखपुर। 13. सांख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर।
14. प्रधानाचार्य / सी० से० स्कूल / बालक इन्टर कॉलेज / बालिका इन्टर कॉलेज, गोरखपुर।
15. पुस्तकालय सहायक / केन्द्रीय ग्रंथालय, गोरखपुर। 16. सचिव/रेलवे भर्ती बोर्ड / गोरखपुर।
17. वकाधि / निर्माण/सिग्नल कार० / गोरखपुर। 18. कारखाना कार्मिक अधिकारी / यांत्रिक कार० गोरखपुर।
19. सकाधि, डिपो / गो० क्षेत्र० / कालोनी/पुल कारखाना / गोरखपुर।
20. सचिव / प्रमुकाधि एवं मुकाधि / प्रशासन सेल, गोरखपुर।
21. उपमुकाधि/ मुख्यालय/राजपत्रित, गोरखपुर। 22. जेनिटर, प्रमुकाधि कार्यालय / गोरखपुर।
23. सभी मुकार्याधी / कार्याधी, प्रमुकाधि / कार्यालय, गोरखपुर।

विषय :- प्रमुकाधि कार्यालय द्वारा कैडर नियंत्रित विभागों के लिपिकीय संवर्ग में 16.2/3% कोटे (LDCE) के अंतर्गत अवर लिपिक लेवल-02 की रिक्ति को चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।

प्रमुकाधि कार्यालय द्वारा कैडर नियंत्रित विभागों के लिपिकीय संवर्ग में अवर लिपिक, लेवल-2 के 16.2/3% LDCE कोटे के तहत 27 पद (सामान्य-21, अजा-04, अजजा-01 एवं PwBD-1) को चयन के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। विभागवार पदों का वितरण निम्नवत है: -

क्रम सं	इकाई	चयन हेतु विभागवार कुल रिक्तियां
1.	कार्मिक	02
2.	परिचालन	01
3.	वाणिज्य (प्रमुवाप्र)	05
4.	विद्युत् (प्रमुविई)	03
5.	यांत्रिक (प्रमुयाइ)	03
6.	प्रमुचिनि / चिनि	02
7.	प्रमुई	09
8.	प्रमुसिदुई	02

क्रमशः-2

उक्त चयन हेतु प्रमुकाधि कार्यालय द्वारा कैडर नियंत्रित विभागों में लेवल-1 में कार्यरत कर्मचारी (भंडार विभाग को छोड़ कर जिसका 16.2/3% (LDCE) कोटे का चयन हो चुका है) जो इस चयन हेतु निम्न पात्रता पूरी करते हैं, से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-
पात्रता शर्तें -

1. लेवल-1 के केवल वह कर्मचारी जिनका लियन (lien) प्रमुकाधि कार्यालय द्वारा कैडर नियंत्रित विभागों में है, आवेदन कर सकते हैं।
2. अधिसूचना जारी होने की तिथि को सम्बंधित वरीयता इकाई में 02 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।
3. स्वयं के अनुरोध पर तत्त्वीय वरीयता पर अपने इकाई में स्थान्तरण पर आये कर्मचारियों के सम्बन्ध में 02 वर्ष सेवा का आंकलन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आर बी ई संख्या 34/2006 के अनुसार की जायेगी।
4. शैक्षणिक योग्यता के रूप में 50 प्रतिशत अंकों के साथ इंटर/10+2 उत्तीर्ण हो। अजा/अजजा के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत अंक की शर्त लागू नहीं होगी। दिनांक 17.12.2014 तक कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल थी तथा लिपिक संवर्ग के 16 2/3 प्रतिशत कोटा के चयन हेतु उस समय पात्र थे, भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, चाहे वे सामान्य/ओ बी सी/एस सी/एस टी किसी भी श्रेणी में आते हों।
5. लेवल-1 के ऐसे कर्मचारी जो इंटर/10+2 से ऊपर के शैक्षणिक योग्यता (अर्थात् स्नातक एवं उससे ऊपर) रखते हों, के लिए इंटर/10+2 में 50 प्रतिशत अंक की शर्त न होने पर भी आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
6. लेवल-1 के ऐसे कर्मचारी जो एमएसीपीएस के तहत उच्च पे-लेवल में हैं, पर नियमित रूप से लेवल-2 में पदोन्नति नहीं है, भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

इस चयन हेतु अन्य शर्तें निम्नवत है :-

1. रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई (एन०जी०)1-2003/सी०एफ०पी०/2 दिनांक 22.09.2003 के अनुसार चयन लिखित परीक्षा एवं सेवा रिकॉर्ड के आधार पर होगी, जिसमें 85 अंक लिखित परीक्षा तथा 15 अंक सेवा अभिलेख के होंगे।
2. उक्त चयन मेरिट के आधार पर होने के कारण इस चयन में Best among failure की नीति लागू नहीं होगी।
3. प्रश्न पत्र के खण्ड "अ" में 01 से 50 तक प्रश्न हिंदी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान तथा खण्ड-ब में 51 से 100 तक प्रश्न गणित, सामान्य ज्ञान, मुख्य रूप से रेल संबंधी विषयों तथा उनका रेल सेवा के दौरे पर परिचालित कार्य संबंधी विषयों से पूछे जायेंगे। प्रत्येक खण्ड के कुल अंकों को 42.5 में परिवर्तित किया जाएगा।
4. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आर०बी०ई० संख्या 196/2018 में दिए गए प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें 100 प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देने होंगे। चयन में बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जायेंगे। उत्तर हेतु एक ही प्रकार के काले अथवा नीले म्याट्री वाले पेन का प्रयोग किया जाए। ओ.एम.आर शीट पर किसी प्रकार का पहचान चिह्न (जैसे हाईलाइटर, ॐ इत्यादि) नहीं लगाया जाए।
5. किसी भी प्रकार की कटिंग व ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। कटिंग एवं ओवर राइटिंग किये गए प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
6. इस चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी। प्रश्न पत्र दो खण्डों (खण्ड-अ एवं खण्ड-ब) में होगा। प्रत्येक खण्ड 42.5 - 42.5 अंकों के होंगे। अभ्यर्थी को दोनों खण्डों में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक खण्ड में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है तथा नामिका में आने के लिए भी समग्र रूप से 60 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है। अजा/अजजा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक खण्ड में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

15.2.15 क्रमश:-3
8/10/17

7. जो कर्मचारी PWBD के अंतर्गत आते हैं, उन्हें निर्देशित क्या जाता है कि वे अपने आवेदन के साथ दिव्यान्गता प्रमाण पत्र संलग्न करें। दिव्यान्गता प्रमाण पत्र के जांच में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो कर्मचारी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी।
8. आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर/नियम और शर्तें जो इस अधिसूचना में अनजाने में छोड़े गये हैं उन्हें वैध और सक्रिय माना जाएगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति तिथि से दो वर्ष के अंदर RBE 19/2011 के अनुसार हिंदी में 25 शब्द या अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण अर्हता उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके लिए उन्हें दो वर्ष के अंदर टंकण गति परीक्षा के तीन अवसर प्रदान किया जायेगा। टंकण अर्हता प्राप्त न करने तक पदोन्नति अन्तिम होगी।
10. टंकण अर्हता हेतु कर्मचारी अपने आवेदन पत्र में इंगित कर सकते हैं कि लिखित परीक्षा के क्रम में ही वे टंकणगति परीक्षा देना चाहते हैं अथवा चयन पश्चात पदोन्नति हो जाने के उपरान्त टंकण परीक्षा देना चाहते हैं, ताकि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही जा सके।
11. अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण तथा सम्बंधित नियंत्रक राजपत्रित अधिकारी से बिना अग्रसारित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा की तैयारी की सूचना समझें। कभी भी अल्प समय की सूचना पर लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है।
13. आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी / पर्यवेक्षक को जमा करने की अंतिम तिथि 15.03.2024 होगी। इसके बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। नियंत्रक अधिकारी / पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को भेजने की अंतिम तिथि 20.03.2024 होगी।
14. सभी नियंत्रक अधिकारियों / पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत लेवल-01 (ग्रेड पे 1800) के कर्मचारियों को इस अधिसूचना को नोट कराना एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

मंलग्न-आवेदन पत्र का प्रोफार्मा

(गोपाल प्रसाद गुप्ता)
वकाधि / मुख्यालय
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

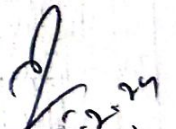
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महामंत्री नरमू, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
02. महामंत्री एस.सी. / एस.टी. / ओबीसी, एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
03. मुख्य कार्याधी / गोपनीय, प्रमुकाधि कार्यालय गोरखपुर।
04. वेबसाइट प्रति।
05. सूचनापट्ट एवं अन्य प्रति।

कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

7. जो कर्मचारी PWBD के अंतर्गत आते हैं, उन्हें निर्देशित क्या जाता है कि वे अपने आवेदन के साथ दिव्यान्गता प्रमाण पत्र संलग्न करें। दिव्यान्गता प्रमाण पत्र के जांच में यदि कोई त्रुटी पायी जाती है तो कर्मचारी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी।
8. आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर/नियम और शर्तें जो इस अधिसूचना में अनजाने में छोड़े गये हैं उन्हें वैध और सक्रिय माना जाएगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति तिथि से दो वर्ष के अंदर RBE 19/2011 के अनुसार हिंदी में 25 शब्द या अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण अर्हता उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके लिए उन्हें दो वर्ष के अंदर टंकण गति परीक्षा के तीन अवसर प्रदान किया जायेगा। टंकण अर्हता प्राप्त न करने तक पदोन्नति अन्तिम होगी।
10. टंकण अर्हता हेतु कर्मचारी अपने आवेदन पत्र में इंगित कर सकते हैं कि लिखित परीक्षा के क्रम में ही वे टंकणगति परीक्षा देना चाहते हैं अथवा चयन पश्चात पदोन्नति हो जाने के उपरान्त टंकण परीक्षा देना चाहते हैं, ताकि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही जा सके।
11. अधूरे एवं त्रुटीपूर्ण तथा सम्बंधित नियंत्रक राजपत्रित अधिकारी से बिना अग्रसारित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा की तैयारी की सूचना समझें। कभी भी अल्प समय की सूचना पर लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है।
13. आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी / पर्यवेक्षक को जमा करने की अंतिम तिथि 15.03.2024 होगी। इसके बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। नियंत्रक अधिकारी / पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को भेजने की अंतिम तिथि 20.03.2024 होगी।
14. सभी नियंत्रक अधिकारियों / पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत लेवल-01 (ग्रेड पे 1800) के कर्मचारियों को इस अधिसूचना को नोट कराना एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न-आवेदन पत्र का प्रोफार्मा


(गोपाल प्रसाद गुप्ता)
वकाधि / मुख्यालय
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महामंत्री नरम, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
02. महामंत्री एम.सी. / एम.टी. / ओबीसी, एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
03. मुख्य कार्याधी / गोपनीय, प्रमुकाधि कार्यालय गोरखपुर।
04. वेबमाइट प्रति।
05. सूचनापट्ट एवं अन्य प्रति।


कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

आवेदन का प्रारूप

रंगीन
फोटो

प्रमुकाधि कार्यालय द्वारा नियंत्रित विभागों के लिपिकीय संवर्ग में 16.2/3% कोटे (LDCE) के अंतर्गत अवर लिपिक लेवल-02 की रिक्ति को चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।

1. नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी).....
2. पिता/पति का नाम.....
3. समुदाय/जाति का नाम (सामान्य/अजा/अजजा).....
4. विभाग (लियन).....
5. वरीयता मुख्यालय / गोरखपुर के किस विभाग में है.....
6. स्वयं के अनुरोध पर वर्तमान इकाई में स्थानान्तरण का विवरण / तिथि
7. पारस्परिक स्थानांतरण पर वर्तमान इकाई में स्थानान्तरण का विवरण / तिथि.....
8. वर्तमान विभाग में कार्यरत
9. नियुक्ति तिथि.....
10. दो वर्ष की नियमित रेल सेवा पूर्ण करने की तिथि
11. जन्म तिथि.....
12. टी०एम०प्राप्ति तिथि.....
13. छान परीक्षा की तिथि.....
14. नियमितीकरण तिथि.....
15. MACPS के तहत पे लेवल, यदि हो
16. पदनाम एवं लेवल.....
17. भविष्य निधि संख्या.....
18. कर्मचारी/एनपीएस/पी.एफ नंबर
19. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न).....
20. टंकण अर्हता सम्बंधित घोषणा.....
21. दिव्यान्गता प्रमाण पत्र (PwBD)(प्रमाण पत्र संलग्न)
22. मोबाइल संख्या.....

मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना / जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरा / मेरा) आवेदन को निरस्त कर दिया जाये।

प्रार्थी

दिनांक-

स्थान-

नाम-

पदनाम-

कार्यालय